

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
:- मंत्रालय -:-

000  
PI  
upload on web  
17-2-16

:- आदेश :-

02 FEB 2016

रायपुर, दिनांक /01/1016

क्रमांक एफ.9-4/2016/तक.शि./42:: "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने बैठक दिनांक 03.07.2014 को निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संलग्न परिशिष्ट- अ (सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) एवं परिशिष्ट-ब (सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) तथा परिशिष्ट-स (सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) के अनुसार अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित/पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित/पुनरीक्षण किया गया है एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी।


इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. उपरोक्त अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु. 2150/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
3. कौशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
4. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
5. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है। यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
6. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी सेमेस्टर में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है।
7. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाइन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।
8. संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है:-  
अ. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रु. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है।  
ब. यदि कोई छात्र किसी संस्था में अध्ययन जारी रखना नहीं चाहता है एवं अपना प्रवेश बीच सत्र में निरस्त करवा लेता है अथवा किसी अन्य संस्था में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है। उस स्थिति में संबंधित संस्था द्वारा छात्र को वापसी योग्य राशि को वापस किया जाना है।
9. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।

कक्षाध्यक्ष  
16/2/16

246  
16/2/16

10. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है। सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र टीसी एवं सीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये।
11. निर्धारित आंशिक शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इसमें कम शुल्क ले सकता है।
12. संस्था फीस की राशि सेमेस्टर के अनुसार ही लेगी। किसी भी दशा में कोई भी संस्था एक साथ दोनो सेमेस्टर या अधिक सेमेस्टर की फीस नहीं ले सकती है। यदि किसी संस्था द्वारा दोनो सेमेस्टरो की फीस एक साथ लिया जाता है तो लाभार्जन माना जायेगा।
13. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा।
- 14 उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं होने पर छत्तीसगढ़ निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के प्रावधानों/नियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(नीलकंठ टीकाम)  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ.9-4/2016/तक.शि./42

रायपुर, दिनांक 02 FEB 2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक- 4 डी, भू-तल, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ।
5. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू, आरंग, रायपुर, छत्तीसगढ़, को सूचनार्थ।
6. संबंधित निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय ..... को पालनार्थ।
7. मास्टर फाईल, कौशल विकास विभाग, मंत्रालय।

  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक 19-14/2016/42/1 दिनांक 2/2/2016

परिशिष्ट-अ

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MCA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	School of Engineering & IT Mats University	27550/-

परिशिष्ट-ब

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MCA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House Durg	29900/-
2	Disha Institute of Management & Technology, (DIMAT) Nardaha, Chandkhuri	29900/-
3	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Kohka Kurud Road, Bhilai	29900/-
4	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Kurud, Bhilai	29900/-
5	Shri Shankaracharya Group of Institution ( Faculty of Engg.& Tech.) earliar known as Shri Shankaracharya College of Engineering & Technology, Junwani, Bhilai	29900/-
6	Shri Shankaracharya Group of Institution ( Faculty of Computer Application) earliar known as Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai.	29900/-

परिशिष्ट-स

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MCA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in-Rs.
1	Kirodimal Institute of Technology, Raigarh	27650/-

उप सचिव

छत्तीसगढ़ प्रोसेस 16

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

::- मंत्रालय -::

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक 02 FEB 2016


क्रमांक एफ.9-4/2016/तक.शि./42:: छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने बैठक दिनांक 25.06.2014 को निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित एम.ई./एम.टेक. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संलग्न परिशिष्ट- अ (सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) एवं परिशिष्ट- ब (सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) के अनुसार अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित/पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित/पुनरीक्षण किया गया है एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए यही फीस लागू रहेगी।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. उपरोक्त अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क परिशिष्ट-अ सरल क्रमांक 01 के लिए विकास शुल्क (रु. 1500/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 1400/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है। एवं परिशिष्ट- ब के सरल क्रमांक 01 से 06 तक के लिए विकास शुल्क (रु. 2475/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) एवं सरल क्रमांक 07 एवं 08 के लिए विकास शुल्क (रु. 1975/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
3. कौशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
4. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
5. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी सेमेस्टर में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है।
6. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाईन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।

8. प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है :-
  - अ. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रू. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है ।
  - ब. पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाने के पश्चात् बीच सत्र में प्रवेश निरस्त करने/द्वेने पर मासिक शुल्क की आनुपातिक कटौती करने के पश्चात् शेष राशि को वापस किया जाना है ।
9. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है
10. पूर्व प्रवेशित छात्रों को पूर्व में जमा की गई अंतरिम शुल्क एवं इस आदेश द्वारा निर्धारित अंतिम शुल्क के अंतर की राशि संस्था में जमा करना होगा ।
11. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र ( जैसे 10वीं/स्नातक, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है । सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है । यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये ।
12. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है ।
13. संस्था फीस की राशि सेमेस्टर के अनुसार ही लेगी किसी भी दशा में कोई भी संस्था एक साथ दोनों सेमेस्टर या अधिक सेमेस्टर की फीस नहीं ले सकती है। यदि किसी संस्था द्वारा दोनों सेमेस्टर्स की फीस एक साथ लिया जाता है तो लाभार्जन माना जायेगा ।
14. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा । उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं होने पर छत्तीसगढ़ निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के प्रावधानों/नियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(नीलकंठ टीकाम)

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

पु.क्रमांक एफ.9-4/2016/तक.शि./42

रायपुर, दिनांक ...02.FEB..2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
2. आयुक्त , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ,इंद्रावती भवन, ब्लॉक- 4 डी, भू-तल, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ ।
5. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू, आरंग, रायपुर, छत्तीसगढ़, को सूचनार्थ ।
6. संबंधित निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय ..... को पालनार्थ ।
7. मास्टर फाईल, कौशल विकास विभाग, मंत्रालय ।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन,

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा

एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक F 9-H/2016 (प्रा.सं. दिनांक 2/2/2016)

परिशिष्ट- अ

S.N.	Name of Institution (For M.E./M.Tech Course) for academic session 2012-13, 2013-14 & 2014-15	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage)
1	MM College of Technology, Raipur	24150/-

परिशिष्ट- ब

S.N.	Name of Institution (For M.E./M.Tech Course) for academic session 2014-15, 2015-16 & 2016-17	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg ME/M.Tech (Regular two years course) ME (Part time) three years course	31725/-
2	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Bilaspur	21150/-
3	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	31725/-
4	Raipur Institute of Technology, Raipur	31725/-
5	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	31725/-
6	Shri Shankaracharya College of Engg. & Technology, Bhilai (SSGI)	31725/-
7	MATS School of Engineering & Technology, Raipur	26225/-
8	Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Mujgahan, Raipur	26225/-

  
20/1/16  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
:: मंत्रालय ::

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक ..... 02 FEB 2016 .....

क्रमांक एफ.9-4/2016/तक.शि/42:: छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा अपने बैठक दिनांक 11.02.2015 को पारित संकल्प द्वारा निजी फार्मैसी महाविद्यालयों में संचालित एम. फार्मैसी, बी. फार्मैसी एवं डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संलग्न परिशिष्ट- अ (स.क्र. 01 एवं 02 सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 तथा स.क्र. 03 एवं 04 सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16), परिशिष्ट- ब (स.क्र. 01, 04 एवं 09 के लिए सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 तथा स.क्र. 02, 03, 05, 06, 07 एवं 08 के लिए सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) एवं परिशिष्ट- स (स.क्र. 01 से 08 के लिए सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) के अनुसार अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित/पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता है। एम. फार्मैसी एवं बी. फार्मैसी के लिए शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित/पुनरीक्षण किया गया है जबकि डिप्लोमा फार्मैसी के लिए शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए यही फीस लागू रहेगी। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. संस्थाओं की यह शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये संबंधित सत्र के लिए एवं लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये उसके तत्काल पश्चात आने वाले सत्र के लिए लागू होगी। तथा पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये एक समान यही फीस लागू रहेगी।
2. परिशिष्ट में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क निम्नानुसार सम्मिलित हैं:-

पाठ्यक्रम का नाम	विकास शुल्क	अन्य विविध शुल्क
एम. फार्मैसी	3920 प्रति सेमेस्टर	2000 प्रति सेमेस्टर
बी. फार्मैसी	2365 प्रति सेमेस्टर	2000 प्रति सेमेस्टर
डी. फार्मैसी	4080 प्रति वर्ष	2000 प्रति वर्ष

3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।

कॉशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।

5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।

2463  
16/2/16

6. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है। यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/ इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
7. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय वर्ष/उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है।
8. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/ फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाईन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/ निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।
9. संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है:-
  - अ. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रु. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है।
  - ब. पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाने के पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के बीच सत्र में प्रवेश निरस्त कराने/होने पर मासिक शुल्क की आनुपातिक कटौती करने के पश्चात् शेष राशि को वापस किया जाना है।
10. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।
11. किसी सत्र में प्रथम वर्ष में अथवा लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों को पूर्व में जमा की गई अंतरिम शुल्क एवं इस आदेश द्वारा निर्धारित अंतिम शुल्क के अंतर की राशि जैसा प्रकरण हो संस्था में जमा करना होगा अथवा संस्था द्वारा छात्र को वापस करना होगा।
12. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेसन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं, स्नातक का प्रमाण पत्र, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाये।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।

//3//

14. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(नीलकंठ टीकाम)  
उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ.9-4/2016/तक.शि./42

रायपुर, दिनांक ..... 02 FEB 2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लाक- 4 डी, भू-तल, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ ।
5. संबंधित निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय ..... को पालनार्थ ।
6. मास्टर फाईल, कौशल विकास विभाग, मंत्रालय ।


(नीलकंठ टीकाम)  
उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक F-9-4/2016/42/T.C. दिनांक 2/2/2016

परिशिष्ट-अ

एम.फार्मसी पाठ्यक्रम के लिये अंतिम शुल्क			
S.N.	Name of Institution (For M.Pharmacy Course)	For Academic sessions	Total Fee (Per semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	2012-13, 2013-14 & 2014-15	50120/-
2	Shri Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	2012-13, 2013-14 & 2014-15	50120/-
3	Columbia College of Pharmacy, Raipur	2013-14, 2014-15 & 2015-16	50120/-
4	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhillai	2013-14, 2014-15 & 2015-16	50120/-

  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक ..... दिनांक .....

परिशिष्ट- स

डी. फार्मसी पाठ्यक्रम के लिये अंतिम शुल्क			
S.N.	Name of Institution (For D.Pharmacy Course)	For Academic sessions	Total Fee (Per Year) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	49880/-
2	Columbia College of Pharmacy, Raipur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	49880/-
3	J.K. Institute of Pharmacy, Bilapur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	48880/-
4	Maulana Abul Kalam Azad college of Pharmacy, Raipur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	48880/-
5	Royal College of Pharmacy, Raipur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	48880/-
6	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhillai	2014-15, 2015-16 & 2016-17	49880/-
7	Shri Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	2014-15, 2015-16 & 2016-17	49880/-
8	Siddhi Vinayak Institute of Pharmacy, Bilaspur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	48880/-

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक ..... दिनांक .....

परिशिष्ट- ब

बी.फार्मसी पाठ्यक्रम के लिये अंतिम शुल्क			
S.N.	Name of Institution (For B.Pharmacy Course)	For Academic sessions	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	2015-16, 2016-17 & 2017-18	31765/-
2	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	31765/-
3	Columbia College of Pharmacy, Raipur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	31765/-
4	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	2015-16, 2016-17 & 2017-18	30515/-
5	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	30515/-
6	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	2014-15, 2015-16 & 2016-17	31765/-
7	Shri Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	2014-15, 2015-16 & 2016-17	31765/-
8	Shri Shankaracharya Institute of Pharmaceutical Science, Nehru	2014-15, 2015-16 & 2016-17	31765/-
9	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Near Dindayal Awas Yojna, Uslapur, Bilaspur	2015-16, 2016-17 & 2017-18	30515/-

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,  
एवं रोजगार विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर  
::— मंत्रालय —::

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक 02 FEB 2016

क्रमांक एफ.9-3/2016/तक.शि/42:: "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 15.04.2015 को निजी मेनेजमेंट संस्थाओं में संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 2016-17 एवं 2017-18 के लिये अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है । यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है । यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता । संस्थाओं का निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट में संलग्न है । शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है । इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. परिशिष्ट में शामिल संस्थाओं की फीस सत्र 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 2016-17 एवं 2017-18 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी ।
2. परिशिष्ट में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु. 2030/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है ।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जाना है ।
4. कौशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है ।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है ।
6. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है । किसी सेमेस्टर में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती । विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है ।
7. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/ फाईन नहीं ले सकती है । कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाईन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकती है ।

कक्षाधिकारी

16/2

//2//

8. संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है:-
- अ. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रू. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है ।
- ब. पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाने के पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के बीच सत्र में प्रवेश निरस्त कराने/होने पर मासिक शुल्क की आनुपातिक कटौती करने के पश्चात् शेष राशि को वापस किया जाना है ।
9. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है ।
10. सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों को पूर्व में जमा की गई अंतरिम शुल्क एवं इस आदेश द्वारा निर्धारित अंतिम शुल्क के अंतर की राशि संस्था में जमा करना होगा ।
11. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र ( जैसे 10वीं, स्नातक, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है । सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है
12. यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) प्रदान किया जाये ।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है ।
14. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना क्वैटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
15. उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(नीलकंठ टीकाम)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

//3//

पृ.क्रमांक 9-3/2016/तक.शि./42,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 02 FEB 2016  
/01/2016

1. निज सचिव , माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ब्लाक-4-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
3. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. रजिस्ट्रार, सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर ।
5. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लु, आरंग, रायपुर ।
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. समस्त निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय.....को पालनार्थ ।
8. आदेश फोल्डर, तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्रालय ।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक F.9-3/2016/42 दिनांक 2/2/2016 का परिशिष्ट  
एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MBA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Mats University (School of Management Studies)	31170

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MBA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	GD Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	26000
2	Central College of Engineering & Management	25500
3	Kruti Institute of Technology & Engineering	25500

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MBA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai-House, Durg	31830 (Full Time), 21220 (Part Time)
2	Shri Sankaracharya College of Engg & Technology, Bhilai	31830 (Full Time), 21220 (Part Time)
3	Disha Institute of Management & Technology, (DIMAT) Nardah, Chandrakhuri Distt. - Raipur	31830 (Full Time), 21220 (Part Time)
4	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	31830
5	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Bhilai	31830
6	Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	29830
7	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Kota, Bilaspur	29830

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MBA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Shri Sankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Mujgahan, Raipur	31830
2	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai	31830
3	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management, Junwani, Bhilai	31830
4	Columbia Institute of Engg. & Technology, Tekari, Near Vidhan Sabha, Raipur	29830
5	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Pacheda, Raipur	29830
6	Mats University (School of Management Studies)	31830

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
30/1/16

छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक 02 FEB 2016

क्रमांक एफ.9-3/2016/तक.शि./42:: "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 08.10.2014 को निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2013-14, 2014-15, एवं 2015-16 के लिये अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं किया जावेगा। संस्थाओं का निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट में संलग्न है। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. परिशिष्ट में शामिल संस्थाओं की फीस सत्र 2013-14, 2014-15, एवं 2015-16 में प्रथम वर्ष में तथा सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी।
2. परिशिष्ट में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु.2200/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन/संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
4. कॉशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एकीडिटेडेड है तो उस संस्था द्वारा उस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रु. 1000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकता है। यह शुल्क एकीडिटेडेड अवधि (जिस सत्र के लिये एकीडिटेडेशन है) के लिये ही लिया जा सकता है। यदि एकीडिटेडेशन की अवधि समाप्त हो जाती है तो यह शुल्क देय नहीं होगा।
6. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
7. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है। ~~यह शुल्क~~ उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया है।

8. द्वितीय एवं उच्च सेमेस्टर प्रारंभ होने के 15 दिवस पश्चात तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है ।
9. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/ फाईन नहीं ले सकती है । कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी ।
10. संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है:-
  - अ. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रु. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है ।
  - ब. यदि कोई छात्र किसी संस्था में अध्ययन जारी रखना नहीं चाहता है एवं अपना प्रवेश बीच सत्र में निरस्त करवा लेता है अथवा किसी अन्य संस्था में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है। उस स्थिति में संबंधित संस्था द्वारा छात्र को वापसी योग्य राशि को वापस किया जाना है ।
11. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है ।
12. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र ( जैसे 10वीं, 12वीं, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है । सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये ।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है ।
14. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना कॅपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

30/11/16  
(नीलकंठ टीकाम)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

//3//

पृ.क्रमांक 9-3/2016/तक.शि./42,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 10 2 FEB 2016  
/01/2016

1. निज सचिव , माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ब्लाक-4-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
3. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. रजिस्ट्रार, सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर ।
5. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लु, आरंग, रायपुर ।
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई को पालनार्थ ।
8. आदेश फोल्डर, तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्रालय ।

  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक F-9-3/2016/42/T.C. दिनांक 2/2/16 का परिशिष्ट

S.N.	Name of Institution (For B.E. Course) for academic session 2013-14, 2014-15 & 2015-16	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Rungta Engineering College, Bhilai	29,950

उप सचिव  
20/1/16  
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर


:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक ..... 02 FEB 2016

क्रमांक एफ.9-3/2016/तक.शि./42:: "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 29.05.2014 को 31 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2014-15, 2015-16, एवं 2016-17 के लिये अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं किया जावेगा। संस्थाओं का निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट में संलग्न है। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. परिशिष्ट में शामिल संस्थाओं की फीस सत्र 2014-15, 2015-16, एवं 2016-17 में प्रथम वर्ष में तथा सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी।
2. परिशिष्ट में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु.2400/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन/संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।  
क्रॉशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एकीडिटेडेड है तो उस संस्था द्वारा उस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रु. 1000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकता है। यह शुल्क एकीडिटेडेड अवधि (जिस सत्र के लिये एकीडिटेडेशन है) के लिये ही लिया जा सकता है। यदि एकीडिटेडेशन की अवधि समाप्त हो जाती है तो यह शुल्क देय नहीं होगा।
6. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
7. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
8. द्वितीय एवं उच्च सेमेस्टर प्रारंभ होने के 15 दिवस पश्चात तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है।

9. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/ फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाईन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।
10. संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है:-
  - (अ.) पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रू. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है।
  - (ब.) यदि कोई छात्र किसी संस्था में अध्ययन जारी रखना नहीं चाहता है एवं अपना प्रवेश बीच सत्र में निरस्त करवा लेता है अथवा किसी अन्य संस्था में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है। उस स्थिति में संबंधित संस्था द्वारा छात्र को वापसी योग्य राशि को वापस किया जाना है।
11. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।
12. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है। सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।
14. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना कॅपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
  
(नीलकंठ टीकाम)  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

//3//

पृ.क्रमांक 9-3/2016/तक.शि./42,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 02 FEB 2016  
/01/2016

1. निज सचिव , माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ब्लॉक-4-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
3. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. रजिस्ट्रार, सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर ।
5. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लु, आरंग, रायपुर ।
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. समस्त निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय.....को पालनार्थ ।
8. आदेश फोल्डर, तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्रालय ।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक F-9-3/2016/02/2 दिनांक 2/2/2016 का परिशिष्ट

S.N.	Name of Institution (For B.E. Course) for academic session 2014-15, 2015-16 & 2016-17	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Ashoka Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	31,600
2	Bharti College of Engineering & Technology Durg	32,850
3	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	34,100
4	Central College of Engineering & Management, Raipur	34,100
5	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg	34,100
6	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Bhilai	34,100
7	Chhattisgarh Institute of Technology, Rajnandgaon	34,100
8	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Bilaspur	34,100
9	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	34,100
10	Columbia Institute of Engg. & Technology, Raipur	34,100
11	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	34,100
12	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Bilaspur	32,850
13	Garv Institute of Management & Technology, Durg	31,600
14	GD Rungta College of Engg. & Tech. Bhilai	34,100
15	Institute of Technology, Korba	32,850
16	J.K. Institute of Engineering, Village - Gatora, Bilaspur	32,850
17	Kirodimal Institute of Tech. & Scinence, Raigarh	31,600
18	Kruti Institute of Technology & Engineering Nardaha, Raipur	32,850
19	Lakhmi Chand Inst of Technology, Vidyastahali, Bilaspur	34,100
20	MM College of Technology, Umariya, Raipur	34,100
21	OP Jindal Institute of Technology, Punji Pathara, Raigarh	32,850
22	Raipur Institute of Technology, Raipur	34,100
23	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai	34,100
24	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	34,100
25	School of IT, MATS University, Arang, Raipur	32,850
26	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Tech. , Pacheda, Raipur	34,100
27	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mngt & Tech., Raipur	34,100
28	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management, Bhilai	34,100
29	Shri Shankaracharya College of Engg. & Technology, Bhilai	34,100
30	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	34,100
31	Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	32,850

उत्तरीसंगठन शासन  
30/1/16

छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक ..... 02 FEB 2016

क्रमांक एफ.9-3/2016/तक.शि/42:: "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 22.07.2015 को 11 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिये अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं किया जावेगा। संस्थाओं का निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट में संलग्न है। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. परिशिष्ट में शामिल 11 संस्थाओं की फीस सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में प्रथम वर्ष में तथा सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी।
2. परिशिष्ट में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु.2400/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन/संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
4. कॉशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एकीडिटेडेड है तो उस संस्था द्वारा उस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रु. 1000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकता है। यह शुल्क एकीडिटेडेड अवधि (जिस सत्र के लिये एकीडिटेडेशन है) के लिये ही लिया जा सकता है। यदि एकीडिटेडेशन की अवधि समाप्त हो जाती है तो यह शुल्क देय नहीं होगा।
6. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
7. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
8. द्वितीय एवं उच्च सेमेस्टर प्रारंभ होने के 15 दिवस पश्चात तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है।

9. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/ फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/ निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।
10. संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है:-
- अ. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रु. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है।
- ब. यदि कोई छात्र किसी संस्था में अध्ययन जारी रखना नहीं चाहता है एवं अपना प्रवेश बीच सत्र में निरस्त करवा लेता है अथवा किसी अन्य संस्था में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है। उस स्थिति में संबंधित संस्था द्वारा छात्र को वापसी योग्य राशि को वापस किया जाना है।
11. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।
12. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है। सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।
14. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना क्वीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

//3//

पृ.क्रमांक 9-3/2016/तक.शि./42,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 02 FEB 2016  
/01/2016

1. निज सचिव , माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ब्लॉक-4-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
3. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. रजिस्ट्रार, सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर ।
5. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लु, आरंग, रायपुर ।
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. समस्त निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय.....को पालनार्थ ।
8. आदेश फोल्डर, तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्रालय ।


  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

2464  
16/2/16

आदेश क्रमांक P-3/2016/42) ज.सं. दिनांक 2/2/16 का परिशिष्ट

S.N.	Name of Institution (For B.E. Course) for academic session 2015-16, 2016-17 & 2017-18	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Distt. Raipur	34100
2	Sun Engineering College, chandkhuri, Durg.	32850
3	Central Institute of Technology, Distt - Raipur	31600
4	Chhattisgarh Engineering College, Distt - Durg	32850
5	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Jewra Sirsa, Dist. Durg	32850
6	Parthivi College of Engineering & Management, Distt - Durg	32850
7	Professional Institute of Engg. and Technology, Distt- Raipur	34100
8	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology-II, Raipur (formerly known as Ravi Shankar Institute of Tech. & Mangt.)	31600
9	Rungta Engineering College, veer sawarkar nagar, near nandanvan, Raipur	34100
10	Rungta College of Engineering & Technology, Distt- Raipur	34100
11	Krishna Engineering College, Bhilai, Distt - Durg	31100

  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन